प्रजनन स्वायत्तता और लैंगिक समानता - सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप

UPSC प्रासंगिकता - प्रारम्भिक परीक्षा: मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएं और सरकारी नीतियां और कानून

मुख्य परीक्षा - GS पेपर I: भारतीय समाज, महिलाओं की भूमिका, सामाजिक सशक्तिकरण; GS पेपर II: शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय; GS पेपर IV: मानवीय मूल्य

चर्चा में क्यों ?

IAS-PCS Institute

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में मातृत्व अवकाश के संरक्षण को कामकाजी महिलाओं के लिए एक मौलिक मानवाधिकार घोषित किया है। इसके साथ ही, न्यायालय ने केंद्र सरकार को पितृत्व अवकाश को कानूनी मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह निर्णय 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने के बाद आया है, जो दत्तक माताओं के बीच बच्चे की उम्र के आधार पर भेदभाव करता था।

पृष्ठभूमि:

- भारत में मातृत्व लाभ का मुद्दा लंबे समय से कानूनी विमर्श का केंद्र रहा है। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को 2017 में संशोधित कर अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह की गई थी।
- नवंबर 2025 में इस अधिनियम को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- विवाद का मुख्य बिंदु धारा 60(4) थी, जिसके अंतर्गत केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माँ को ही 12 सप्ताह का अवकाश मिलता था।
- याचिकाकर्ता का तर्क था कि कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया स्वयं इतनी लंबी है कि 3 महीने से कम उम्र का बच्चा मिलना लगभग असंभव है, जिससे यह लाभ केवल कागजी बनकर रह गया था।

संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

1. मातृत्व लाभ: एक मानवाधिकार और आर्थिक सुरक्षा

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मातृत्व लाभ केवल एक छुट्टी नहीं है, बल्कि यह महिला की प्रजनन स्वायत्तता (Reproductive Autonomy) का हिस्सा है।
- यदि कार्यस्थल पर मातृत्व लाभ उपलब्ध नहीं है, तो महिला को 'करियर' और 'मातृत्व' के बीच चुनाव करना पड़ता है। आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करके, यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि मातृत्व कार्यस्थल से बहिष्कार का कारण न बने।
- यह अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 42 (काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां) के संवैधानिक जनादेश के अनुरूप है।

2. दत्तक और जैविक माता के बीच समानता

न्यायालय ने ऐतिहासिक टिप्पणी की कि एक दत्तक माता के अधिकार और कर्तव्य जैविक माता के समान ही होते हैं।

- **भावनात्मक बंधन:** दत्तक ग्रहण के मामले में, बच्चे और माता के बीच भावनात्मक जुड़ाव विकसित करने के लिए शारीरिक उपस्थिति और निरंतर देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है।
- उम्र के आधार पर (3 महीने की सीमा) भेदभाव करना 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है।

3. लैंगिक असमानता का दुष्चक्र

जस्टिस पारदीवाला ने एक बहुत ही सूक्ष्म सामाजिक मुद्दे को रेखांकित किया:

- **शिक्षा पर प्रभाव:** यदि एक कामकाजी माँ को अवकाश नहीं मिलता, तो वह काम पर लौटने के लिए मजबूर होती है। ऐसे में छोटे बच्चे की देखभाल अक्सर घर के बड़े भाई-बहन, विशेषकर बालिकाओं पर आ जाती है।
- इसके परिणामस्वरूप बालिकाओं को स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो समाज में लैंगिक असमानता के दुष्चक्र को और गहरा करता है।

4. पितृत्व अवकाश की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में पितृत्व अवकाश की वकालत की है।

- **पालन-पोषण एक साझा जिम्मेदारी:** न्यायालय के अनुसार, पालन-पोषण केवल माँ का कार्य नहीं है। शुरुआती चरणों में पिता की उपस्थिति बच्चे के विकास और माँ के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। इसे 'सामाजिक सुरक्षा लाभ' के रूप में मान्यता देना आधुनिक और प्रगतिशील समाज की पहचान है।

5. संवैधानिक और कानूनी वैधता

- अदालत ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया।
- यह निर्णय 'जेंडर न्यूट्रल' (लिंग तटस्थ) पालन-पोषण की दिशा में एक बड़ा कदम है और केंद्र सरकार को अपनी श्रम नीतियों को और अधिक समावेशी बनाने का निर्देश देता है।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

1. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रमुख प्रावधान

इस संहिता का मुख्य उद्देश्य विभिन्न श्रम कानूनों को एकीकृत करना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना है:

- **अवकाश की अवधि:** जैविक माताओं के लिए 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) बरकरार रखा गया है।
- **दत्तक और सरोगेट माताएं:** संहिता के अनुसार, दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला, जो किसी बच्चे को गोद लेती है या 'कमीशनिग मदर' (सरोगेसी के मामले में) है, वह 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार है।
- **क्रैच (बालवाड़ी) सुविधा:** जिन प्रतिष्ठानों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां अनिवार्य रूप से क्रैच की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

2. सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप (2026)

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने संहिता की कुछ सीमाओं को असंवैधानिक मानकर उनमें सुधार किया है:

- **उम्र की सीमा का उन्मूलन:** पहले नियम था कि केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही अवकाश मिलेगा। कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, जिससे अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माँ को लाभ मिल सकेगा।
- **प्रक्रियात्मक सुधार:** गोद लेने की लंबी कानूनी प्रक्रिया (जो अक्सर 3 महीने से अधिक चलती है) को ध्यान में रखते हुए, अब 'इरादा' और 'कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत' को ही लाभ का आधार माना जाएगा।

3. मातृत्व लाभों का तुलनात्मक विश्लेषण:

IAS-PCS Institute

विशेषता	जैविक माता	दत्तक माता
अवकाश की अवधि	26 सप्ताह (पहले 2 बच्चों के लिए)	12 सप्ताह
पात्रता मानदंड	प्रसव से पहले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया हो।	कानूनी रूप से गोद लेने की तिथि से प्रभावी।
कार्यस्थल सुविधा	घर से काम की सुविधा (यदि कार्य की प्रकृति अनुमति दे)	समान सुविधाएं लागू।
चिकित्सा बोनस	₹3,500 का चिकित्सा बोनस (यदि नियोक्ता मुफ्त चिकित्सा देखभाल नहीं देता)	समान सुविधाएं लागू।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

4. पितृत्व अवकाश की वर्तमान स्थिति:

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- **निजी क्षेत्र:** वर्तमान में भारत में निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश का कोई अनिवार्य केंद्रीय कानून नहीं है। यह पूरी तरह से कंपनी की आंतरिक नीतियों पर निर्भर करता है।
- **सरकारी क्षेत्र:** केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है।
- **सुप्रीम कोर्ट का सुझाव:** न्यायालय ने केंद्र सरकार को इसे 'सामाजिक सुरक्षा लाभ' के रूप में कानूनी रूप देने का कड़ा निर्देश दिया है, ताकि पालन-पोषण में पिता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष और आगे की राह:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कार्यस्थल पर समावेशिता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक 'पैराडाइम शिफ्ट' (मानदंड परिवर्तन) है। अब सरकार पर निर्भर है कि वह न केवल दत्तक माताओं के लिए नियमों को सरल बनाए, बल्कि एक व्यापक 'राष्ट्रीय पितृत्व अवकाश नीति' पर भी विचार करे। हालाँकि, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' ने असंगठित क्षेत्र के लिए भी पंजीकरण और लाभ के द्वार खोले हैं, लेकिन कार्यान्वयन में 'गिग इकोनॉमी' के लिए स्पष्ट मातृत्व लाभ अभी भी एक चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब इन लाभों को 'लिंग-तटस्थ' और 'प्रक्रिया-मुक्त' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

IAS-PCS Institute

यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले (2026) के आलोक में, दत्तक माताओं के अधिकारों के संबंध में कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

1. कोर्ट ने 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को मातृत्व लाभ से वंचित करने वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया है।
2. न्यायालय के अनुसार, गोद लेना 'प्रजनन स्वायत्तता' की एक अभिव्यक्ति है।
3. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दत्तक माता के अधिकार जैविक माता के समान नहीं हो सकते , क्योंकि उनमें प्रसव संबंधी शारीरिक रिकवरी की आवश्यकता नहीं होती।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न 2: 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के अंतर्गत मातृत्व लाभ के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संहिता के अनुसार, 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए ही उपलब्ध है।
2. 'कमिशनिग मदर' और कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने वाली माताएं 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार हैं।
3. संहिता के अंतर्गत 'घर से काम' की सुविधा एक अनिवार्य वैधानिक अधिकार है, जिसे नियोक्ता को हर परिस्थिति में प्रदान करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न: "मातृत्व लाभ केवल एक वैधानिक सुविधा नहीं है, बल्कि यह कामकाजी महिलाओं की 'प्रजनन स्वायत्तता' और 'आर्थिक सुरक्षा' का एक अनिवार्य घटक है।" उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। **(शब्द सीमा: 250)**

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806